भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2003

उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026 (बुधवार)

22 माघ, 1947 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स नीतियों का समेकन

†2003.श्री तापिर गावः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स पहलों को संपर्कता, व्यापार एवं औद्योगिक नीतियों के साथ समन्वित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय तंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे समन्वय तंत्रों/व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक्ट ईस्ट नीति तथा सीमा-पार व्यापार से जुड़े पहलुओं को लॉजिस्टिक्स रणनीति में सम्मिलित किया गया है; और

(घ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स एवं व्यापार के प्रवेश-द्वार के रूप में स्थापित करने हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को देश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के समेकित विकास का कार्य अधिदेशित किया गया है। डीपीआईआईटी के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी, व्यापार और औद्योगिक नीतियों के साथ लॉजिस्टिक्स से जुड़ी पहलों को संरेखित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय तंत्र को अक्तूबर 2021 में शुरू किए गए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, उत्तर पूर्वी परिषद की 71वीं पूर्ण बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, जुलाई 2024 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की गई, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का आकलन किया जा सके और लॉजिस्टिक्स आयोजना सुदृढ़ करने के उपायों की सिफारिश की जा सके। इसके परिणामस्वरूप बने रोडमैप के कार्यान्वयन की निगरानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत गठित संचालन समूह द्वारा भी की जाती है, जिसमें डीपीआईआईटी (लॉजिस्टिक्स प्रभाग) और अन्य संबंधित मंत्रालयों और आठ पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(ग) जी हाँ। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत, सरकार आसियान देशों के बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए म्यांमार होते हुए दो कनेक्टिविटी परियोजनाएं लागू कर रही है। ये हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे।

भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर रेल, सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्क भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं और व्यापक उप-क्षेत्रीय एकीकरण में मदद करते हैं। व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह, लैंड कस्टम स्टेशन/इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर उप-समूह और बॉर्डर हाट पर संयुक्त समिति जैसे संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं ताकि लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, व्यापार अवसंरचना और इस क्षेत्र पर असर डालने वाले दूसरे विकास कार्यों के संबंध में भारत और बांग्लादेश के संबंधित प्राधिकरणों, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्राधिकरण भी शामिल हैं, के बीच समन्वय स्थापित हो सके।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स और व्यापार के गेटवे के तौर पर स्थापित करने के रोडमैप को बहु-उद्देश्यीय कार्यनीति के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें पीएम गतिशक्ति-आधारित आयोजना द्वारा समर्थित समन्वित नीति नियोजन और संस्थागत तंत्र शामिल हैं, जो मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, औद्योगिक क्लस्टरों, लॉजिस्टिक्स पार्कों, सीमावर्ती अवसंरचना और आर्थिक परिसंपत्तियों की एकीकृत भू-स्थानिक मैपिंग को सक्षम बनाता है और संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के माध्यम से भौतिक संपर्क को सुदृढ़ करता है।

*****